रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 75] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 12, 1985/माघ 23, 1906
No. 75] NEW DELHI, TUESDAY, FEB. 12, 1985/MAGHA 23, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 1985

का. आ. 110(अ).—केन्द्रीय सरकार, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 16 फरवरी, 1985 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 13 आंध्र प्रदेश राज्य में प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 8/5/83-ई पी (एग्री.-6)]

आर. बद्रीनाथ, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND SUPPLY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th February, 1985

S.O. 110(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Tobacco Board Act, 1975 (4 of 1975) the Central Government hereby appoints the 15th day of February, 1985 as the date on which section 13 of the said Act shall come into force in the State of Andhra Pradesh.

[F. No. 8|5|83-EP(AGRI. VI)]

R. BADRINATH, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985